न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक – 21.1.19

क्रमांक रीडर/2019/ 114

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 चन्द्रपाल पुत्र दशरथ कुमार जाति खत्री निवासी खत्रियों का निचला वास बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।		1 मुकेश कुमार 2 राजेश कुमार पिसरान चतुर्भुज जाति महेश्वरी निवासी गोशाला के पास हरीजन बस्ती बाड़मेर 3 मूलाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी अलाणियों की ढाणी (बान्दरा) 4 गीतादेवी पत्नी चन्द्रपाल जाति खत्री निवासी खत्रियों का नचला वास बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 5 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक– 21.01.2019

राजस्व आवेदन संख्या :–97/2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 982/832 रकबा 01.07 बीघा व खसरा संख्या 984/832 रकबा 0.01 बीघ कुल रकबा 01.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 21.1.19

क्रमांक :– रीडर/2019/ 115–118

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. चन्द्रपाल पुत्र दशरथ कुमार जाति खत्री निवासी खत्रियों का निचला वास बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मुकेश कुमार पुत्र चतुर्भुज वगैराह जाति महेश्वरी निवासी गोशाला के पास हरीजन वस्ती बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner